

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

174/10

संख्या: /सात लाईन-44/आबकारी नीति-2021-23/विज्ञापित/टेंडर/2021-23/देहरादून: दिनांक: फरवरी, 8, 2021

विज्ञापित

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 62/XXIII-1/2021/04(01)/2021 देहरादून दिनांक 30.01.2021 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 (दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2021-22 के अनुसार दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक सी०एस०-5सी (देशी मदिरा) तथा एफ०एल०-5डी (विदेशी मदिरा एवं बीयर) की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन किया जाना है, जो निम्नानुसार किया जायेगा:-

प्रथम चरण:-

क्र०सं०	विवरण	स्थान, दिनांक व समय
01	ऑन लाईन ऑफर प्रकाशन की तिथि	दिनांक: 15.02.2021 के पूर्वान्ह 11:00 बजे
02	प्री-बिड बैठक की तिथि एवं समय	दिनांक: 16.02.2021 के अपरान्ह 02:00 बजे से सम्बन्धित जिलाधिकारी/ कलेक्टर कार्यालय
03	निविदा अभिलेख ई-पोर्टल पर उपलब्धता की समय सीमा	दिनांक: 15.02.2021 पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 02.03.2021 के अपरान्ह 01:00 बजे तक
04	ऑन लाईन ऑफर www.uktenders.gov.in में अपलोड करने की तिथि एवं समय सीमा	दिनांक: 17.02.2021 के पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक: 02.03.2021 के अपरान्ह 01:00 बजे तक
05	सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में अभिलेख जमा करने की तिथि एवं समय सीमा	दिनांक: 17.02.2021 के अपरान्ह 12:00 बजे से दिनांक: 02.03.2021 के अपरान्ह 02:00 बजे तक
06	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक: 02.03.2021 के अपरान्ह 03:00 बजे सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलेक्टर कार्यालय में
07	तकनीकी निविदा में सफल आवेदकों की सूची अपलोड करने की समय सीमा	दिनांक: 02.03.2021 के अपरान्ह 03:00 बजे से कार्य समाप्ति तक
08	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	दिनांक: 03.03.2021 के पूर्वान्ह 11:00 बजे से
09	वित्तीय निविदा में सफल आवेदकों की सूची अथवा रिपोर्ट अपलोड करने की समय सीमा	दिनांक: 03.03.2021 के अपरान्ह 03:00 से कार्य समाप्ति तक
10	निविदा खोलने का स्थान	सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलेक्टर कार्यालय
11	निविदा आमन्त्रित करने वाला अधिकारी	सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलेक्टर

द्वितीय चरण (प्रथम चरण में व्यवस्थापित न हो पायी मदिरा/बीयर की दुकानों हेतु)

क्र०सं०	विवरण	स्थान, दिनांक व समय
01	ऑन लाईन ऑफर प्रकाशन की तिथि	दिनांक: 04.03.2021 के पूर्वान्ह 11:00 बजे
02	निविदा अभिलेख ई-पोर्टल पर उपलब्धता की समय सीमा	दिनांक: 04.03.2021 पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 11.03.2021 के अपरान्ह 01:00 बजे तक
03	ऑन लाईन ऑफर www.uktenders.gov.in में अपलोड करने की तिथि एवं समय सीमा	दिनांक: 04.03.2021 के अपरान्ह 12:00 बजे से दिनांक: 11.03.2021 के अपरान्ह 01:00 बजे तक
04	सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में अभिलेख जमा करने की तिथि एवं समय सीमा	दिनांक: 04.03.2021 के अपरान्ह 12:00 बजे से दिनांक: 11.03.2021 के अपरान्ह 02:00 बजे तक
05	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक: 11.03.2021 के अपरान्ह 03:00 बजे सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलेक्टर कार्यालय में
06	तकनीकी निविदा में सफल आवेदकों की सूची अपलोड करने की समय सीमा	दिनांक: 11.03.2021 के अपरान्ह 03:00 बजे से कार्य समाप्ति तक
07	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	दिनांक: 12.03.2021 के पूर्वान्ह 11:00 बजे से

08	वित्तीय निविदा में सफल आवेदकों की सूची अथवा रिपोर्ट अपलोड करने की समय सीमा	दिनांक: 12.03.2021 के पूर्वान्ह 03:00 बजे से कार्य समाप्ति तक
09	निविदा खोलने का स्थान	सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलेक्टर कार्यालय
10	निविदा आमन्त्रित करने वाला अधिकारी	सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलेक्टर

आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा/बीयर की दुकानों हेतु उक्त वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Certificate (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा www.uktenders.gov.in पर पंजीकरण करना होगा, जिसके माध्यम से वह मदिरा की दुकानों हेतु आवेदन कर सकेगा। आवेदन केवल ऑनलाईन ही किया जा सकेगा। अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं है।

ऑन लाईन प्रक्रिया हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी तथा मुख्यालय के अपर आबकारी आयुक्त, लाईसेंसिंग (दूरभाष नं०-7579098405) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। किसी भी जानकारी हेतु उपरोक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।

08.02.2021
(सुशील कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

17411-16

संख्या: /सात लाई०-44/आबकारी नीति-2021-23/विज्ञप्ति/टैण्डर/2021-23/देहरादून: तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. संयुक्त आबकारी आयुक्त, आई०टी०, अनुभाग, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट www.uttarakhandexcise.org.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त, कुमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. उप आबकारी आयुक्त, परिक्षेत्र देहरादून/हरिद्वार एवं नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
5. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर उपरोक्त समयसारणी मदिरा की दुकानों के ऑनलाईन ऑफर हेतु समस्त अभिलेख सन्दर्भित वेबसाइट पर अपलोड करते हुए व्यवस्थापन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
6. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं राष्ट्रीय सहारा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को सरकारी दर पर न्यूनतम सम्भव स्पेस में अपने सम्मानित समाचार पत्र में दिनांक 10.02.2021 के अंक में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड संस्करण में प्रकाशित कराते हुये विज्ञप्ति के बिल की प्रति भुगतान हेतु कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

08.02.2021
(सुशील कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।